न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः—डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 523/2025

श्री अशोक कुमार, गांव खांदवा, बुहाना, जिला झुंझुनूं, राज0 पिन कोड 333502

——प्रार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं।

——अप्रार्थी

——

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय आदेश दिनांक 04.11.2025 आदेश रिट याचिका सं0 10627/2025 अशोक कुमार अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान की पालना हेतु।

——

उपस्थितः—

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. श्रीमती अनामिका, प्रर्वतन निरीक्षक, विभागीय प्रतिनिधि— अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 15.12.2025

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय मे दिनांक 04.11.2025 को आदेश पारित हुआ। मान्यवर उच्च न्यायालय के अधिपति माननीय आशुतोष कुमार जी ने जो विज्ञप्ति निकाली राशन डीलर खांदवा जो कि बुहाना के अधीन आता है उस पर स्थगन लगा दिया गया है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम खान्दवा के लिए जारी नवसृजित दुकान की विज्ञप्ति निरस्त करने का आदेश प्रदान कर प्रार्थी को राहत प्रदान करने का आदेश प्रदान करे।

प्रकरण मे जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं ने पत्रांक अभियोग/रसद/2025/1321 दिनांक 01.12.2025 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि सी0बी0 सिविल रिट पीटिशन संख्या 10627/2025 अशोक कुमार बनाम राजस्थान सरकार की तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्न प्रकार सादर प्रेषित है कि ग्राम खान्दवा, बलॉक बुहाना, जिला झुंझुनूं मे पहले से श्री अशोक कुमार पोस कोड 11541 उचित मूल्य दुकान संचालित है। उक्त दुकान पर खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड की संख्या कुल 551 और यूनिट 2155 है। श्रीमान् उपायुक्त एवं शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर के पत्रांक 17( )खा0वि0/न्याय/2025/1273 दिनांक 24.02.2025 के द्वारा माननीय विधायकगणों एवं प्रत्याशीगणों द्वारा अपने—अपने निर्वाचन क्षेत्रो के स्थान चिन्हित कर नवीन उचित मूल्य दुकान खोलने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जाकर नवीन उचित मूल्य दुकान खोलने की कार्यवाही आरम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त पत्र की पालना मे ग्राम खान्दवा, ब्लॉक बुहाना, जिला झुंझुनूं की रिक्त उचित मूल्य दुकान की नई विज्ञप्ति जारी की गई। विभागीय आदेश क्रमांक एफ 17(9)खा0वि0/विधि/2012 दिनांक 26.12.2019 व एफ 17(1)खा0वि0/विधि/2008 दिनांक 07.04.2010 के अनुशरण मे 500 राशनकार्ड/2000 यूनिट पर अतिरिक्त दुकान के प्रावधान जारी है। तहसील बुहाना की ग्रामीण क्षेत्र के वितरण केन्द्र खान्दवा की विज्ञप्ति उचित मूल्य दुकान अनारक्षित के आंवटन हेतु दिनांक 01.09.2025 को समय प्रातः 11.00 बजे तहसील बुहाना के ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान आंवटन सलाहकार समिति की बैठक जिला रसद कार्यालय झुंझुनूं मे अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता मे आयोजित की गई। वितरण केन्द्र खान्दवा हेतु 2 आवेदन पत्र श्री वेदप्रकाश (ग्राम सेवा सहकारी समिति, खान्दवा) व श्री लोकेश प्राप्त हुए। उक्त आवेदन उचित मूल्य दुकान आंवटन हेतु गठित आंवटन सलाहकार समिति के उपस्थित सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किये गये जिन्होने विभागीय दिशा निर्देश के अनुरूप आवेदन का परीक्षण कर आवेदक का साक्षात्कार लिया जाकर वितरण केन्द्र खान्दवा के लिए श्री लोकेश उचित

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

मूल्य दुकानदार चयन करने की अनुशंषा की गई। उचित मूल्य दुकानदार आवंटन सलाहकार समिति द्वारा एकमत से लोकेश के नाम की अनुशंषा व उचित मूल्य दुकान आंवटन हेतु दस्तावेजात् श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय के समक्ष अभिषंषा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किये गये। श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय से प्राप्त अभिशंषा के आधार पर श्री लोकेश को उचित मूल्य दुकान हेतु चयन किया गया है।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये कथन किया कि प्रार्थी माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के आदेश दिनांक 04.11.20245 के दिये गये निर्देशों की पालना के कम मे आपके समक्ष प्रस्तुत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम खान्दवा के लिए जारी नवसृजित दुकान की विज्ञप्ति निरस्त करने का आदेश प्रदान कर प्रार्थी को राहत प्रदान करने का आदेश प्रदान करे।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया। तथ्यात्मक रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि ग्राम खान्दवा की दुकान पर खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड की संख्या कमशः 551 व यूनिट 2155 है। विभागीय आदेश कमांक एफ 17(9)खा0वि0/विधि/2012 दिनांक 26.12.2019 व 17(1)खा0वि0/विधि/2008 दिनांक 07.04.2010 के अनुशरण मे 500 राशन कार्ड/2000 यूनिट पर अतिरिक्त दुकान के प्रावधान जारी है। उक्त दुकान पर राशन कार्ड व यूनिटों की संख्या निर्धारित संख्या से भी कम है। प्रकरण मे नियमानुसार अतिरिक्त राशन की दुकान सृजित किया जाना उचित नही है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम खान्दवा की उचित मूल्य दुकान श्री अशोक कुमार को यथावत रखे जाने व अतिरिक्त दुकान नही सृजित करने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 15.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनू